

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

**उनवान**

1. श्री छोगालाल पुत्र हीरा भील निवासी बीडघास तहसील मावली जिला उदयपुर  
.....वादी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।  
.....प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**  
**मुकदमा न0 : 122/25 (वाद) GCMS No. – 2025/249**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.  
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बीडघास पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्बत् 2077-80 की खाता संख्या 195 पर दर्ज आराजी नम्बर 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797 कित्ता 9 कुल रकबा 2.2500 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम चोखा पुत्र हीरा के बजाय चोखा उर्फ छोगालाल पुत्र हीरा भील संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

